छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,कानपुर
CHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Kanpur University, Kanpur)
Kalyanpur, Kanpur-208024
कल्यानपुर कानपुर–208024

सन्दर्भ सं0: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सी.ओ.ई. / 3192 / 2022 दिनांक : 07/ 09 / 2022

प्रेस विज्ञप्ति

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की सम्पन्न परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदनों/व्याप्त भ्रांतियों के सन्दर्भ में आदेशानुसार तीन समितियों का गठन किया गया है। समिति को निर्देशित किया गया है कि महाविद्यालयों में पहुँच कर स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुनकर महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं में व्याप्त भ्रांतियों का निराकरण करें। साथ ही उक्त भ्रांतियों के निवारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्न व्यवस्था भी की गयी है:–

1. परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया है।
2. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020, दिनांक–20.04.2022 का अवलोकन किया जा सकता है।
3. परीक्षा परिणाम एवं परीक्षा पैर्टन के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा एक आडियो–वीडियो भी जारी किया गया है, जिसे यूट्यूब https://youtu.be/gTACqEJnDrY पर देखा जा सकता है।
4. विश्वविद्यालय के वेबसाइट "**http://www.csjmu.ac.in**" के माध्यम से ग्रीवांश पोर्टल एवं हेल्पलाइन नम्बर–8860004609 पर अपने ग्रीवांश के समाधान हेतु आवेदन कर सकते हैं।
5. परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा एक गूगल फार्म भी जारी किया गया है, जिसमें अपने ग्रीवांश सम्बन्धित महाविद्यालय के छात्र/छात्रा प्राचार्य/प्राचार्या के माध्यम से ऑनलाइन सब्मिट कर सकता है।

भवदीय,

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि: **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–**

1. सम्पादक/संवादाता, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त सूचना जनहित में अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क सभी संस्करणों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी, पी0एम0यू0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या।
4. सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र।
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. वैय० सहायक, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(दिनेश कुमार मौर्य)
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)